पत्रांक–1प्रा0आ0–84 / 2003 / 5298 / आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

व्यास जी,
प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी 28 बाढ़ प्रवण जिलों के जिला पदाधिकारी / जिला पदाधिकारी, मुंगेर, बिहार।

पटना–15, दिनांक– 9/12/13

विषयः **बाढ़ प्रवण जिलों में अतिरिक्त नई सरकारी नावों के क्रय के संबंध में।**

महाशय,

आप अवगत है कि नाव बिहार में आवागमन का एक प्रमुख साधन है। सामान्य समय में नदियों को पार करने में इसका उपयोग होता है, अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण भी जिलों में आवागमन प्रभावित होता है। ऐसी स्थिति में नाव के अलावा आवागमन का कोई वैकल्पिक साधन शेष नहीं रह जाता है। नाव का उपयोग बाढ़ आपदा के दौरान राहत, बचाव एवं साहाय्य कार्य में भी किया जाता है।

2. पूर्व में विभागीय पत्रांक 563 दिनांक–24.02.2011 द्वारा 15 अति बाढ़ प्रवण जिलों में 100–100 सरकारी नावों और 13 बाढ़ प्रवण जिलों में 50–50 सरकारी नावों की व्यवस्था करने का निदेश दिया गया था। पुनः विभागीय पत्रांक 3982 दिनांक–29.11.2011 द्वारा अति बाढ़ प्रवण जिलों में अतिरिक्त 100–100 सरकारी नावों तथा बाढ़ प्रवण जिलों में 50–50 सरकारी नावों का क्रय करने का निदेश दिया गया है।

3. हालॉकि अभी तक उपरोक्त निर्णय के आलोक में कुछ जिलों को छोड़कर शेष अति बाढ़ प्रवण /बाढ़ प्रवण जिलों में यथानुसार नयी सरकारी नावों का क्रय नहीं किया गया है, परन्तु इस वर्ष राज्य के 20 जिलों में आयी बाढ़ के अनुभवों से स्पष्ट हुआ है कि बाढ़ आने की दशा में नावों की महत्ती आवश्यकता हो जाती है। यह भी अनुभव हुआ कि मुंगेर जिला, जो अति बाढ़ प्रवण/बाढ़ प्रवण जिलों की सूची में नहीं है, भी बाढ़ से प्रभावित रहा जहाँ नावों की आवश्यकता उत्पन्न हुई थी।

4. अतएव संलग्न सूची के अति बाढ़ प्रवण 15 (पंद्रह) जिलों में प्रति जिला अतिरिक्त 100 सरकारी नावों एवं 13 (तेरह) बाढ़ प्रवण जिलों में प्रति जिला अतिरिक्त 50 सरकारी नावों की व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार मुंगेर जिले में 50 नयी सरकारी नावों की व्यवस्था का भी निर्णय लिया गया है।

5. अतएव इस संबंध में निम्नांकित कार्रवाई जिलास्तर पर अपेक्षित है–

(I). जिला पदाधिकारी अपने जिलों मे उपलब्ध सरकारी नावों का आकलन कर उपरोक्त के अनुसार 100 (अति बाढ़ प्रवण जिलों के लिए) एवं 50 (बाढ़ प्रवण जिलों के लिए) अतिरिक्त नाव की व्यवस्था करेंगे एवं उन नावों को बड़ी/मंझोली एवं छोटी नावों के रूप में वर्गीकृत करेंगें। नावों के आकार का निर्णय संबंधित जिला पदाधिकारी जिले की नदियों में पूर्व वर्षो की बाढ़ के अनुभवों एवं आवश्यकता के मद्देनजर स्व–विवेक से लेंगे।

(II). नावों के निर्माण में यथानुसार जामुन एवं सखुआ की लकड़ी का प्रयोग किया जायेगा।

(III). वर्गीकृत नावों के क्रय/निर्माण हेतु स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से जिला पदाधिकारियों द्वारा अलग–अलग निविदाएँ आमंत्रित की जाएंगी।

(IV). प्राप्त निविदाओं के आलोक में जिलास्तरीय क्रय समिति द्वारा क्रय/निर्माण हेतु दर का निर्धारण किया जाएगा। क्रय समिति में लकड़ी विशेषज्ञ एवं उद्योग विभाग के पदाधिकारी भी रखे जायगे। दर निर्धारण के उपरांत राशि का आकलन कर शेड्यूल ऑफ डिलिवरी के अनुसार राशि की मांग विभाग से की जायगी।

(V). प्रत्येक नाव की लदान क्षमता का निर्धारण मोटरयान निरीक्षक से कराकर जितनी नाव क्रय की जाएगी अथवा निर्मित की जाएगी, उनकी बाहरी दीवार पर पेंट से नावों की क्रम संख्या एवं लदान क्षमता अंकित की जाएगी।

(VI). जिले में उपलब्ध सभी सरकारी नावों को पीले रंग से अघुलनशील पेंट से रंगा जायगा, ताकि ज्ञात हो सके कि सरकारी नावें है, साथ ही उनपर आपदा प्रबंधन विभाग, जिले का नाम, नावों की क्रम संख्या एवं लदान क्षमता अंकित रहेगा।

6. अतएव अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ करते हुए नावों के क्रय/निर्माण की दर का निर्धारण के पश्चात् कुल कितनी राशि की आवश्यकता पड़ेगी उसका आकलन करते हुए आवंटन की माँग विभाग से की जाए। साथ ही यह भी सूचित किया जाए कि नावों की डिलीवरी शेड्यूल क्या होगी तथा डिलीवरी शेड्यूल के अनुसार कब–कब कितनी राशि की आवश्यकता पड़ेगी।

7. इस प्रकार पूर्व पत्रांक 563 दिनांक–24.02.2011 एवं पत्रांक 3982 दिनांक–29.11.2011 एवं वर्त्तमान पत्र के अनुसार अति बाढ़ प्रवण जिलों में कुल 300–300 एंव बाढ़ प्रवण जिलों में 150–150 नई नावों का क्रय किया जाना है।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।

अनु0–अति बाढ़ प्रवण/बाढ़ प्रवण
28 जिलों की सूची।

विश्वासभाजन

(व्यास जी)
प्रधान सचिव

बिहार राज्य में बाढ़ प्रवणता

28 बाढ़ प्रवण जिलों के नामः–

1. सुपौल	15. बक्सर
2. सारण	16. दरभंगा
3. नालन्दा	17. समस्तीपुर
4. वैशाली	18. कटिहार
5. पूर्णियॉ	19. सहरसा
6. शिवहर	20. मुजफ्फरपुर
7. सीतामढ़ी	21. भागलपुर
8. खगड़िया	22. अररिया
9. मधुबनी	23. मधेपुरा
10. पश्चिम चम्पारण	24. शेखपुरा
11. पूर्वी चम्पारण	25. किशनगंज
12. पटना	26. भोजपुर
13. सिवान	27. लखीसराय
14. गोपालगंज	28. बेगुसराय